राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,
महात्मा गांधी नरेगा (ग्रुप–3), सचिवालय, जयपुर
(Phone : 0141-2227956, 2227170 E-mail: pdre_rdd@yahoo.com)

क्रमांकः एफ 40(35)ग्रावि/नरेगा/IBW/पार्ट–5/2019 जयपुर, दिनांकः 8.6.2022

09 JUN 2022

जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस,
एवं जिला कलक्टर, जिला–समस्त।

विषय :– महात्मा गांधी नरेगा योजना में व्यक्तिगत लाभ योजना में पात्र लाभार्थियों की **भूमि पर उद्यानिकी पौधों का रोपण** करने व **पौधशाला** स्वीकृत करने बाबत्।

प्रसंगः– विभागीय पत्र दिनांक 05.05.2022।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र **(प्रति संलग्न)** द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजना में व्यक्तिगत लाभ योजना में पात्र लाभार्थियों की **भूमि पर उद्यानिकी पौधों का रोपण** करने व **पौधशाला** स्वीकृत करने हेतु मानसून 2022 में किए जाने वाले कार्यों के जिलेवार लक्ष्य निर्धारित कर भिजवाए गए हैं। यहां महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत व्यक्तिगत लाभ योजना में 2 तरह के कार्य लिए जा सकते हैं–

1. पात्र लाभार्थियों की **भूमि पर उद्यानिकी पौधों का रोपण**
2. पात्र लाभार्थियों की **भूमि पर पौधशाला** की स्वीकृति

उक्त के क्रम में प्रगति अर्जित करने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें–

कसं	कार्य	समयावधि
1	पात्र लाभार्थियों का चयन कर आवश्यकतानुसार कार्यों को पूरक वार्षिक कार्य योजना 2022–23 में सम्मिलित कर कार्यों के प्रस्ताव तैयार करना	जून माह तक
2	कार्यों के समुचित तकमीने तैयार करना	जून माह तक
3	पौधशालाओं के निर्माण हेतु प्रशिक्षण व आमुखीकरण	जून माह तक
4	उद्यानिकी पौधारोपण हेतु बीज व पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित करना	जून माह तक
5	उद्यानिकी पौधारोपण हेतु अग्रिम मृदा कार्य में गड्ढे खुदाई का कार्य करना	मानसून के पूर्व
6	पौधारोपण का कार्य करना	मानसून के दौरान

इस संबंध में सामान्य दिशा–निर्देश भी **संलग्न** हैं, तदनुरूप कार्यवाही करें।

संलग्न– उपरोक्तानुसार

(के. के. पाठक)
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग।
4. निजी सचिव, राज्य मिशन निदेशक, राजीविका।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
6. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
7. निजी सचिव, निदेशक, उद्यान विभाग, पंत कृषि भवन, जयपुर।
8. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त।

9. अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस जिला परिषद, समस्त।
10. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, ग्रावि को विभागीय वेबसाइट पर उपलोड करने बाबत्।
11. रक्षित पत्रावली।

9/6/2022

अधीक्षण अभियन्ता, ईजीएस

–: महात्मा गांधी नरेगा योजना में व्यक्तिगत लाभ योजना में पात्र लाभार्थियों की भूमि पर उद्यानिकी पौधों का रोपण करने व पौधशाला स्वीकृत करने संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश :–

(ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बिन्दु)

कसं	कार्य
1	पात्र लाभार्थियों का चयन कर आवश्यकतानुसार कार्यों को पूरक वार्षिक कार्य योजना 2022–23 में सम्मिलित कर कार्यों के प्रस्ताव तैयार करना
	यहां महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत व्यक्तिगत लाभ योजना में 2 तरह के कार्य लिए जा सकते हैं– 1. पात्र लाभार्थियों की **भूमि पर उद्यानिकी पौधों का रोपण** 2. पात्र लाभार्थियों की **भूमि पर पौधशाला** की स्वीकृति उक्त दोनों कार्य समान प्रकृति के होकर भी भिन्न हैं। इसमें प्रथम प्रकार के कार्य में जहाँ केवल फलदार वृक्ष अनुमत हैं, वहीं द्वितीय प्रकार के कार्य में बागवानी, सजावटी व अन्य पौधे भी अनुमत हैं। परन्तु प्रथम कार्य हेतु द्वितीय की पूरक भूमिका विद्यमान रहेगी। पौधशाला के संबंध में उसके कई आयामों व संभावनाओं को दृष्टिगत रखा जाना चाहिए, जैसे– ❖ पौधशाला के **निर्माण हेतु** समुचित कियान्वयन एजेंसी का निर्धारण या चयन ❖ पौधशाला की **देखभाल हेतु** समुचित कियान्वयन एजेंसी का निर्धारण या चयन पौधशाला के निर्माण हेतु समुचित कियान्वयन एजेंसी सामान्यतः दो ही होती हैं– 1. **राजकीय विभाग, जैसे– पंचायती राज, वन विभाग, उद्यानिकी विभाग।** 2. **राजकीय विभाग के अंतर्गत निर्मित स्वयं सहायता समूह, जैसे– राजीविका।** इसमें समस्त की भागीदारी उचित होगी। जून माह तक पात्र लाभार्थियों का चयन कर आवश्यकतानुसार कार्यों को पूरक वार्षिक कार्य योजना 2022–23 में सम्मिलित कर कार्यों के प्रस्ताव तैयार कर लें।
2	पौधशालाओं के निर्माण हेतु प्रशिक्षण व आमुखीकरण
	पौधशालाओं के निर्माण हेतु प्रशिक्षण व आमुखीकरण की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें ग्राफ्टिंग आदि में तकनीकी दक्षता की आवश्यकता होती है। इसके लिए उचित होगा कि **राजीविका से जुड़ी कृषि सखियों, महात्मा गांधी नरेगा मेटों तथा पंचायत द्वारा नरेगा श्रमिकों में से समुचित शिक्षित और अभिरूचि वाले श्रमिकों** को चयनित कर उनका प्रशिक्षण व आमुखीकरण करा लें। इस हेतु मुख्यतः निम्न की सहायता ली जा सकती है– 1. **कृषि विज्ञान केन्द्र या कृषि विश्वविद्यालय या कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के अधिकारी।** 2. **वन विभाग के केन्द्र।** इसमें सामान्यतः एक दिवसीय एक्सपोजर विजिट भी उपयोगी हो सकती है। अतः उक्त दोनों प्रकार के केन्द्रों से वार्ता कर यथाशीघ्र जून माह तक इस प्रकार का प्रशिक्षण एवं आमुखीकरण सुनिश्चित करा लें।
3	कार्यों के समुचित तकमीने तैयार करना
	महात्मा गांधी नरेगा योजना में व्यक्तिगत लाभ योजना में पात्र लाभार्थियों की **भूमि पर उद्यानिकी पौधों का रोपण** करने व **पौधशाला** स्वीकृत करने के संबंध में उसके तकमीने में देखभाल संबंधी भी बिन्दु को समुचित रूप में समाहित किया जाना होगा। कार्य का तकमीना बनाते समय यह अवश्य ध्यान में रखा जाए कि इसमें पौधारोपण तथा आगामी 3 वर्ष के रख–रखाव का प्रावधान किया जाए, क्योंकि कोई भी पौधशाला या उद्यानिकी कार्य इससे कम अवधि के लिए संभावित नहीं होता। इसमें

तीन तरह के लोगों का नियोजन नरेगा के अंतर्गत किया जा सकता है–

1. **श्रमिक संबंधी कार्य, जिसमें निराई एवं जलापूर्ति संबंधी कार्य भी सम्मिलित होगा।**
2. **देखभाल संबंधी कार्य, जिसमें चौकीदार संबंधी कार्य भी सम्मिलित होगा।**
3. **मेट संबंधी कार्य।**

इसमें स्थान और क्षेत्र के अनुसार बड़े कार्य भी लिए जा सकते हैं। तकमीना बनाते समय यह अवश्य ध्यान में रखें–

1 उद्यानिकी पौधारोपण हेतु उद्यानिकी पौधों में कम से कम 2 वर्ष पुराने या 3 फीट ऊँचाई के पौधों का रोपण किया जाए।

2 पौधों को पानी पिलाने हेतु पानी की व्यवस्था सुनिश्चित हो।

3 पात्र लाभार्थियों द्वारा पौधों की देखभाल/जीवितता सुनिश्चित हो।

आगामी वर्षो में उद्यानिकी पौधारोपण हेतु नवीन नर्सरी स्थापना करने का भी लक्ष्य रखें।

4 पौधशाला एवं उद्यानिकी पौधारोपण हेतु बीज व पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित करना

पौधशाला एवं उद्यानिकी पौधारोपण हेतु बीज व पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित करना प्रमुख दायित्व होगा।

- इसमें क्षेत्र अनुसार फलदार पौधों के विकल्प के रूप में ऐसे पौधों को प्राथमिकता से लिया जाना चहिए, जो फलदार हों। फलों के पौधे विविध प्रकार के हे सकते हैं, जैसे– **आम, अमरूद, केला, अनार, पपीता, बेर, आँवला, नींबू, किन्नू, संतरा, बील, करौंदा, जामुन, कटहल आदि।** इनमें क्षेत्रानुसार आम श्रेष्ठ विकल्प हो सकता है, क्योंकि केवल बीज से भी सरलता पूर्वक उग सकता है और फल, छाया व लकड़ी तीनों दृष्टियों से उपयुक्त होता है। केला तथा पपीता ऐसे पौधे हैं, जो बहुत शीघ्र ही विकसित होकर फल देने लगते हैं, अतः उन्हें भी आवश्यकतानुसार प्राथमिकता से लिया जा सकता है।
- इसमें ऐसे पौधों को विशेष रूप से भी लिया जा सकता है, जो पशु चराई से सुरक्षित रहते हैं। इसमें साइट्रस प्रजाति के फल जैसे– नींबू, संतरा, किन्नू, माल्टा आदि प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त खजूर, करोंदा, सीताफल आदि को भी लिया जा सकता है।
- फलदार पौधों के साथ कतिपय ऐसे पौधे भी लिए जा सकते है, जो बहुत शीघ्र विकसित हो जाते है और वे बाड के अतिरिक्त सौंदर्यीकरण का भी कार्य करते हैं। इनमें विविध प्रजाति के बांसों को लिया जा सकता है। इनके अतिरिक्त कतिपय छायादार पौधों को भी लिया जा सकता है जैसे– पीपल, बरगद, गुलमोहर आदि। परंतु बल केवल फलदार पेडों पर ही रहे।
- पेड़ों के अतिरिक्त उनके साथ लताओं को भी लिया जाना चाहिए, क्योंकि वे अधिक जगह नहीं घेरती हैं और वृक्षों के साथ ही उनकी सहजीविता होती है। इनमें गिलोय, शतावरी, अपराजिता आदि को लिया जा सकता है। तुलसी, गिलोय, एलोवेरा आदि व्यावहारिक औषधीय पौधों को भी लगाया जा सकता है।
- फूलदार पौधों के रूप में भी ऐसे पौधों को प्राथमिकता से लिया जा सकता है, जो पशु चराई से सुरक्षित रहते हैं या स्थनीय मांग हो। इसमें प्रमुख हैं। सुरक्षित स्थानों पर अन्य फूलों को भी लगाया जा सकता है।
- नर्सरी से यथसंभव दो साल से अधिक के ही पौधे लिये जाएं, अधिक आयु के ही पौधों में उत्तरजीविता अधिक रहती है।
- जहां पर तेज धूप या गर्म हवाओं के कारण पौधों को झुलसने की संभावना आती है, वहां क्यारियों के बीच में बाजरे आदि की भी एक लाइन लगायी जा सकती है।

5 उद्यानिकी पौधारोपण हेतु अग्रिम मृदा कार्य के तहत गड्ढे खुदाई का कार्य करना

	उद्यानिकी पौधारोपण हेतु अग्रिम मृदा कार्य के तहत गड्ढे खुदाई का कार्य मानसून अवधि से पहले किया जाना आवश्यक होगा। इस हेतु पहले से यह कार्यवाही पूर्ण कर लें ताकि जुलाई माह में मानसून के समय पौधारोपण किया जा सके। इसी प्रकार पौधाशाला विकास में भी अग्रिम कार्यवाही सम्पन्न की जानी आवश्यक होगी।
6	पौधारोपण का कार्य करना
	उद्यानिकी पौधारोपण में फलदार पौधों के अतिरिक्त किसान को बीच की भूमि में सब्जियों और बेलों को लगाए जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इससे जब तक पौधा बड़ा होगा, तब तक उस स्थान पर उसे नियमित आय भी प्राप्त होगी। पौधशाला में फलदार एवं फूलों के पौधों के बीच में सब्जियों को भी लगाया जा सकता है और इससे उसमें भी उक्तानुसार लाभ प्राप्त हो सकेंगे।

नोट :–

1 पौधशाला के कार्य सामुदायिक एवं व्यक्तिगत दोनों श्रेणी में अनुमत हैं और इसमें व्यक्तिगत एवं सामुदायिक पौधशाला हेतु कतिपय बिन्दुओं पर पृथक–पृथक दिशा–निर्देश हो सकते हैं उदाहरणार्थ व्यक्तिगत कार्य के रूप में स्वीकृत कार्य होने पर लाभार्थी स्वतंत्र रूप में उसका विक्रय करने तथा उसका लाभ अर्जित करने में समर्थ होगा। विभागीय उपयोग में पौधा–रोपण हेतु भी इनसे निर्धारित दर पर उपापन किया जा सकेगा, परन्तु प्राथमिक रूप से वरीयता सामुदायिक पौधशाला को दी जाएगी। यदि वहां समुचित संख्या में या समुचित आयु सीमा में वांछित पौधे उपलब्ध नहीं हैं, तब उस व्यक्तिगत श्रेणी की पौधशाला से पौधे लिए जा सकते हैं।

2 महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत सामुदायिक पौधशाला (नर्सरी) विकास के कार्य निम्नांकित शर्तों के अधीन होंगे–

1 सामुदायिक पौधशाला विकास का तात्पर्य केवल केवल वन या कृषि व बागवानी आदि राजकीय विभागों द्वारा पौधशाला विकास ही नहीं, अपितु ग्राम पंचायतों द्वारा पौधशाला विकास से भी है, जो सर्वाधिक आवश्यक है। पंचायत द्वारा इसके संचालन का दायित्व राजकीय रूप से पंजीकृत स्वयं सहायता समूहों को दिया जा सकेगा।

2 जिस भूमि पर ऐसी पौधशाला लगाई जा रही है, वह किसी राजकीय विभाग या ग्राम पंचायत या अन्य ग्रामीण स्थानीय निकायों की होनी चाहिए।

3 पौधशाला विकास एक निरंतर देखभाल व अपेक्षाकृत अधिक अवधि का कार्य है। इसमें कार्य को कम से कम 3 साल की अवधि के लिए मंजूरी दी जाएगी, ताकि लंबे पौधे उगाए जा सकें, जिससे उनकी जीवित रहने की दर में सुधार हो सके।

4 कार्यान्वयन एजेंसी को पौधों की संख्या (आयु के अनुसार) के बारे में स्पष्ट प्रतिबद्धता देनी होगी कि वे हर साल वृक्षारोपण प्रयासों के लिए आपूर्ति करेंगे।

5 महात्मा गांधी नरेगा के तहत पौधारोपण हेतु पौधों का उपयोग निःशुल्क किया जाएगा, परन्तु यदि नरेगा से भिन्न कार्यों के लिए यदि पौधारोपण किया जाता है, तो उस योजना के अन्तर्गत भी इसका निर्धारित मूल्य पर उपापन किया जा सकता हैं। यदि नरेगा के लिए आपूर्ति के उपरान्त अतिरिक्त रूप में पौधे विद्यमान है, तो इनका स्वयं के स्तर पर विक्रय हेतु संचालक संस्था अनुमत होगी, परन्तु ऐसी समस्त आय पंचायत अथवा संचालक होने पर स्वयं सहायता समूह की आय के रूप में परिगणित होगी। विशेष रूप में शहरी क्षेत्रों में ऐसे पौधों की व्यापक मांग विद्यमान रहती है, जिनमें स्वायत्त शासन विभाग व नगरीय विकास विभाग द्वारा भी विपुल संख्या में पौधों की खरीद की जाती हैं।

6 व्यक्तिगत पौधशाला हेतु सामान्यतः लाभार्थी के खेत पर ही कार्य लिए जाने का ध्यान रखा जाता है, परन्तु यदि किसी लाभार्थी के आवासीय भवन के परिसर में भी समुचित धूपयुक्त स्थान उपलब्ध है, वहां भी इसे स्वीकृत किया जा सकता है।